(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 365–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–1–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 5/2011–12/अपील.

.....

1–रमेश उर्फ राम्या पिता स्व0श्री सुखलाल
2–यशवन्त पिता स्व0श्री सुखलाल
3–बाबूलाल पिता श्री मांगीलाल
4–मोहन पिता श्री मांगीलाल
5–भिल्या पिता श्री मांगीलाल
6–छोटेलाल पिता श्री मांगीलाल
7–राजाराम पिता श्री गंगाराम
सभी निवासी ग्राम टेमला तहसील व जिला खरगोन
8–कस्तुरीबाई मृत तर्फे वारिस
अ–श्रीमती बीनाबाई पिता श्री गंगाराम पति श्री बोन्दरसिंह
निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला खरगोन
ब–श्रीमती सलीता पिता श्री गंगा राम पति श्री चेतराम
निवासी मेनगांव तहसील व जिला खरगोन
स–श्रीमती शकुबाई पिता श्री गंगाराम पति श्री सीताराम
निवासी घोटिया तहसील व जिला खरगोन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

शोभाराम पिता श्री मंगत भारूड़
निवासी ग्राम टेमला तहसील व जिला खरगोन

..... अनावेदक

.....

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टेमला तहसील खरगोन स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1755/1/68 रकबा 0.272 हेक्टेयर उसके स्वामित्व की भूमि है जिस पर बैलगाडी लाने ले जाने हेतु रूढिगत रास्ता था जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–6–2015 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध उभयपक्ष द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज किये गये, परन्तु अन्ततः प्रकरण तहसील न्याायलय को प्रत्यावर्तित हुआ और तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–10–09 को अंतिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–3–2010 को आदेश पारित कर प्रकरण पुनः तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–2–2011 को आदेश पारित कर अंतिम आदेश पारित कर अपने दिनांक 30–10–09 को संशोधित कर पैदल मार्ग अनावेदक को उपलब्ध कराया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–8–11 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–1–14 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 6–8–11 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–2–11 निरस्त किया गया एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2009 की पुष्टि की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किन किन सर्वे नम्बरों से उसका रास्ता था और किस सर्वे नम्बर से उसका रास्ता रोका गया है ।

(2) अनावेदक द्वारा जिस भूमि को अपना बताया गया है उस संबंध में कोई रजिस्ट्री प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा साक्ष्य से स्पष्ट पाया गया था कि अनावेदक के पास बैलगाडी के लिये वैकल्पिक रास्ता था, इसके बावजूद पगडंडी वाला रास्ता देने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–09 की अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की गई जिसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम हो गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आवेदकगण द्वारा चाही गई सहायता से बाहर जाकर न्यायालय द्वारा सहायता नहीं दी जा सकती है अतः आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त से जो सहायता चाही गई थी वे उनके द्वारा प्रदान की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा पूर्व में दिनांक 30–10–09 को आदेश पारित अनावेदक को बैलगाडी ले जाने हेतु रास्ता उपलब्ध कराया गया था , परन्तु बाद में बिना साक्ष्य लिये आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई थी ।

(3) अनावेदक के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होकर एकमात्र प्रश्नाधीन रास्ता कृषि कार्य के लिये उपलब्ध है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–10–2009 को अंतिम आदेश पारित कर अनावेदक के रकबे 0.272 हेक्टेयर की भूमि में आने जाने का बैलगाड़ी, कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने का वहीवाटी मार्ग आवेदकगण की कृषि भूमि पूर्वी मेढ बाद के हिस्से की उत्तरी पूर्वी मेढ एवं दक्षिण मेढ से अनावेदक के रकबे 0.272 हेक्टेयर का वहीवाटी रास्ता दिया

गया है, जो संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही है। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रत्यावर्तन आदेश के पश्चात् तहसील न्यायालय द्वारा उक्त रास्ते को संशोधित कर पैदल मार्ग दिये जाने हेतु दिनांक 23–2–2011 को पुनः आदेश पारित किया गया, जो कि संहिता के प्रावधान अनुसार त्रुटिपूर्ण आदेश है, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–8–2011 को निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर तहसील न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 30–10–2009 स्थिर रखने में न्यायसंगत एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–01–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर